तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य म... होने से जनरल तारीख पेशी हो गई ... आदेश की पालना में दिनांक 24/1/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
24/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित वास्ते आदेश दि. 25/1/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
25/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र व तहसीलदार बांदीकुई रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजातों के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र धारा-136 LR Act स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बांदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली नियमानुसार पेश कर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

01/2023 निर्णित

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण सं – 01/2023
प्रकरण दायर दिनांक– 02.01.2023
निर्णय दिनांक– 25.01.2024

उनवान

1. सुखबाई पुत्री जमनालाल पत्नि कन्हैयालाल उर्फ कल्लूराम बैरवा उम्र 67 वर्ष जाति बैरवा निवासी सत्यनगर टेका की ढाणी वार्ड नंबर 13 बांदीकुई हाल निवासी निहालपुरा, खानपुर का बास तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. धनबाई पुत्री जमनालाल पत्नि सीताराम उम्र 65 वर्ष जाति बैरवा हाल निवासी गीरधरपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाँदीकुई तहसील बाँदीकुई जिला दौसा।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

प्रार्थीयागण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश किया कि प्रार्थीगण ग्राम सत्यनगर टेका की ढाणी तहसील बाँदीकुई की स्थाई निवासी है। एवं उनकी पैतृक खातेदारी भूमि ग्राम श्यालावास खुर्द तहसील बसवा हाल तहसील बाँदीकुई में स्थित है। प्रार्थीगण स्व. जमनालाल पुत्र नाथ्या की जाइन्दा पुत्री है जो कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की पैतृक सम्पत्ति में अधिकारी है प्रार्थीगण के अलावा अन्य कोई वैद्य वारिसान स्व. जमनालाल के नहीं है। प्रार्थीगण के पिता स्व. जमनालाल की आराजी भूमि खसरा नम्बरान वर्तमान 628 रकबा 0.22 एवं ख. नं. 629 रकबा 0.24 हैक्ट. वाके रामा ग्राम श्यालावास खुर्द तहसील बसवा में स्थित है। प्रार्थीगण के बाबा नाथ्या पुत्र हरजी का स्वर्गवास होने पर उसके स्थान पर विरासत का नामान्तकरण सं. 259 पर खोला गया जिसमें नाथ्या के वारीसान का नाम सिजरा अनुसार जयनारायण प्रसाद, जमनालाल पुत्र नाथ्या एवं पूरण के नाम होने पर उसकी पत्नी भौरी बेवा पूरण का नाम अमल किया गया। वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सम्वत 2074 में जमनालाल पुत्र नाथ्या के स्थान पर जयनारायण पुत्र नाथ्या अमल कर दिया गया जो कि एक लिपिकीय त्रुटि दिख रही है। क्योंकि प्रार्थीगण को उनके पिता के राजस्व रिकार्ड के आधार पर अधिकार निहीत थे जो सही एवं वास्तविक थे उसके अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना था लेकिन जमनालाल के स्थान पर जयनारायण हो गया जो गलत दर्ज हो गया है उन गलतियों को संशोधित किया जाना आवश्यक है। राजस्व रिकार्ड में गलत प्रविष्टि प्रार्थीगण के पिता का नाम जमनालाल के स्थान पर जयनारायण होने के कारण भूमि पर प्रार्थीगण का नाम अमल नहीं हो पा रहा है। मृतक जमनालाल पुत्र नाथ्या की अन्य खातेदारी भूमि भी ग्राम श्यालावासखुर्द में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम सही जमनालाल होने के कारण विरासत में प्रार्थीगण का नाम जमाबन्दी में अमल हो गया है। जिससे पूर्णतया यह साबित है कि प्रार्थीगण ही मृतक जमना लाल की वैध वारिसान हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता सं. नया 08 व पुराना 09 खसरा नंबर 628, 629 में ग्राम श्यालावास खुर्द में प्रार्थीगण के पिता का नाम जयनारायण पुत्र नाथ्या का नाम जो अशुद्ध है उसके स्थान पर जमनालाल पुत्र नाथ्या का सही नाम संशोधन करने के आदेश फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई। प्रकरण में तहसीलदार बाँदीकुई से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार बाँदीकुई के पत्र कमांक/भू.अ./2023/4380 दिनांक 26.11.2023 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम श्यालावास खुर्द की हाल जमाबंदी के खाता सं. 08 खसरा नं. 628/0.22, 629/0.24 किता 02 रकबा 0.46 हैक्ट. में जयनारायण पुत्र नाथा हिस्सा 1/6 जाति बैरवा सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। शेष खातेदारान बदस्तूर जमाबंदी हैं। वादिया द्वारा पेश उक्त भूमि का मिलान क्षेत्रफल, पूर्व जमाबंदी संवत 2041–44, नामान्तकरण सं. 259 की नकल का अवलोकन करने पर पाया कि हाल ख. नं. 628, 629 के साबिक ख. नं. 242 रकबा 1 बीघा 16 बीस्वा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल है। मुताबिक नामान्तकरण सं. 259 विरासत से नाथ्या के फौतगी से जमनालाल के नाम नामान्तकरण खुला है। जिसका अमल जमाबंदी संवत 2036–39 के खाता सं. 25 में जमनालाल के नाम से हुआ है एवं संवत 2041–44 की जमाबंदी में भी जमनालाल दर्ज रिकार्ड है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भू प्रबन्ध के पश्चात मिसल खतौनी सं. 2052–71 के खाता सं. 22 में जमनालाल की जगह जयनारायण अंकित कर दिया जो आज दिनांक तक हाल जमाबंदी में भी जयनारायण चला आ रहा है। अतः मुताबिक साबिक रिकार्ड के हाल जमाबंदी ग्राम श्यालावास खुर्द के खाता सं. 8 में जयनारायण पुत्र नाथा हि. 1/6 जाति बैरवा सा. देह खातेदार के स्थान पर जमनालाल पुत्र नाथा हि. 1/6 जाति बैरवा सा. देह खातेदार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पर बहस प्रार्थीगण वकील सुनी गई। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत 2074–77 ग्राम श्यालावास खुर्द खाता सं. नया 8 व पुराना 9, मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्धक विभाग संवत 2052–2071 ग्राम श्यालावास खुर्द, नामान्तकरण सं. 259 ग्राम श्यालावास खुर्द, जमाबंदी संवत 2036–39 ग्राम श्यालावास खुर्द खाता सं. 25, जमाबंदी संवत 2041–44 ग्राम श्यालावास खुर्द, भू–प्रबन्ध विभाग मिसल खतौनी संवत 2052–71 के खाता सं. 22, नामान्तकरण रजिस्टर सं. 147 ग्राम श्यालावास खुर्द, जमाबंदी संवत 2070–73 खाता सं. नया 1 पुराना 2 ग्राम श्यालावास खुर्द, जमाबंदी संवत 2066–69 खाता सं. नया 19 पुराना 28 ग्राम श्यालावास खुर्द, जमाबंदी संवत खाता सं. 2066–69 खाता सं. नया 1 पुराना 2 ग्राम श्यालावास खुर्द, जमाबंदी संवत 2066–69 खाता सं. नया 18 पुराना 23 ग्राम श्यालावास खुर्द, जमाबंदी संवत 2066–69 खाता सं. नया 20 पुराना 26 ग्राम श्यालावास खुर्द, जमाबंदी संवत 2074–77 खाता सं. नया 101 पुराना 97 ग्राम श्यालावास खुर्द, मृत्यु प्रमाण पत्र छायाप्रति का अवलोकन किया गया। हमने बहस प्रार्थीगण वकील पर मनन किया। राजस्व जमाबंदी संवत 2074–77 ग्राम श्यालावास खुर्द खाता सं. नया 8 व पुराना 9 खसरा नं. 628, 629 कुल किता 02 कुल रकबा 0.46 हैक्ट. में जयनारायण पुत्र नाथा हिस्सा 1/6 जाति बैरवा सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल ख. नं. 628, 629 के साबिक ख. नं. 242 रकबा 1 बीघा 16 बीस्वा रहे है। मुताबिक नामान्तकरण सं. 259 ग्राम श्यालावास खुर्द विरासत से नाथ्या के फौतगी से जमनालाल के नाम नामान्तकरण खुला है। जिसका अमल जमाबंदी संवत 2036–39 ग्राम श्यालावास खुर्द के खाता सं. 25 में जमनालाल के नाम से हुआ है एवं संवत 2041–44 की जमाबंदी में भी जमनालाल दर्ज रिकार्ड है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भू प्रबन्ध के पश्चात मिसल खतौनी सं. 2052–71 के खाता सं. 22 में जमनालाल की जगह जयनारायण अंकित कर दिया जो आज दिनांक तक हाल जमाबंदी में भी जयनारायण चला आ रहा है। पत्रावली में संलग्न अन्य खातों की जमाबंदी संवत 2070–73 खाता सं. नया 1 पुराना 2 ग्राम श्यालावास खुर्द, जमाबंदी संवत 2066–69 खाता सं. नया 19 पुराना 28 ग्राम श्यालावास खुर्द, जमाबंदी संवत 2066–69 खाता सं. नया 18 पुराना 23 ग्राम श्यालावास खुर्द, जमाबंदी संवत 2066–69 खाता सं. नया 20 पुराना 26 ग्राम श्यालावास खुर्द, जमाबंदी संवत 2074–77 खाता सं. नया 101 पुराना 97 ग्राम श्यालावास खुर्द में प्रार्थीगण के पिता का नाम जमनालाल दर्ज है। अतः उपरोक्त दस्तावेजातों के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण के पिता का नाम जमनालाल पुत्र नाथ्या होना प्रकट है। उपरोक्त विवेचन से मुताबिक साबिक रिकार्ड के राजस्व जमाबंदी संवत 2074–77 ग्राम श्यालावास खुर्द खाता सं. नया 8 व पुराना 9 में प्रार्थीगण के पिता का नाम जयनारायण पुत्र नाथा हि. 1/6 जाति बैरवा सा. देह खातेदार के स्थान पर जमनालाल पुत्र नाथ्या हि. 1/6 जाति बैरवा सा. देह खातेदार शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः बहस प्रार्थीगण वकील पर मनन करने एवं तहसीलदार बाँदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजातों के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि ग्राम श्यालावास खुर्द तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा स्थित भूमि काश्त खाता संख्या नया 08 पुराना 09 खसरा नम्बर 628 एवं 629 कुल किता–2 कुल रकबा 0.46

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

01
2023

विविध

हैक्टयर के राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दर्ज प्रार्थीगण के पिता का नाम जयनारायण पुत्र नाथ्या के स्थान पर जमनालाल पुत्र नाथ्या शुद्ध किया जावे। तहसीलदार बांदीकुई तदनुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करे। पालना हेतु तहसीलदार बॉंदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 25.01.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(मनीष कुमार जाटव)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई